भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +4187
सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन उत्पादों के विविधीकरण हेतु योजना

+4187. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पर्यटन उत्पादों के विविधीकरण के लिए कोई योजना बनाई है जिससे भारत को वर्ष भर पर्यटन हेतु गंतव्यस्थल बनाने का लक्ष्य है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में साहसिक पर्यटन की क्षमता का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो साहसिक पर्यटन पर केंद्रित स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य/संघ राजयक्षेत्र-वार कितनी निधि स्वीकृत और जारी की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम, यदि कोई हैं, उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): एक वर्षपर्यंत गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन और विशिष्ट अभिरुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन को "निश" पर्यटन उत्पाद के रूप में अभिज्ञात किया है।

मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटरों के अनुमोदन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं जो सभी अधिप्रमाणित एडवेंचर टूर ऑपरेटरो के लिए है।

देश में एडवेंचर पर्यटन के विकास और संवर्धन से संबंधित मुद्दों के निपटान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए एडवेंचर पर्यटन संबंधी कार्यबल का गठन किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन कार्यकलापों के लिए मूलभूत न्यूनतम मानकों के रूप में एडवेंचर पर्यटन से संबंधित सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानदंडों संबंधी 'भारतीय एडवेंचर पर्यटन दिशा निर्देश' (वर्जन 2.0) तैयार किए हैं जिसमें एडवेंचर पर्यटन कार्यकलापों के संदर्भ में भूमि,वायु और जल संबंधी 31 वर्टिकल्स शामिल हैं। यह दिशानिर्देश अनुपालन हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजे गए हैं। एडवेंचर पर्यटन गंतव्यों सहित विभिन्न गंतव्यों में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है।

केंद्र सरकार ने पर्वतारोहण/ट्रैकिंग अभियानों के लिए चार राज्यों में 340 पर्वत चोटियों को खोला है यथा उत्तराखंड (106 पर्वत चोटियां), सिक्किम (10 पर्वत चोटियां), जम्मू एवं कश्मीर (133 पर्वत चोटियां) और हिमाचल प्रदेश (91 पर्वत चोटियां)।

पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत भारत का संवर्धन एक संपूर्ण पर्यटक गंतव्य के रूप में करता है। देश के पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों के संवर्धन के लिए चल रहे अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में यह मंत्रालय घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन तथा आउटडोर मीडिया अभियान जारी करता है। मंत्रालय की वेबसाइट तथा सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी संवर्धन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत तथा विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के प्रदर्शन के उद्देश्य से सूचना का प्रसार करते हैं और विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप करते हैं।

पर्यटक स्थलों/केंद्रों आदि की पहचान और रखरखाव मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में थीम आधारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु 15 थीमेटिक परिपथ अभिज्ञात किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन तथा पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जनवरी 2015 में इस योजना को आरंभ किए जाने के बाद से अब तक मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सभी थीमेटिक परिपथों को कवर करते हुए 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 5667.39 करोड़ रुपए की राशि से 76 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

वर्ष 2014-15 से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत एडवेंचर पर्यटन घटकों वाली परियोजनाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

*****

अनुबंध

पर्यटन उत्पादों के विविधीकरण हेतु योजना के संबंध में दिनांक 22.03.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. +4187 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2014-15 से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत एडवेंचर पर्यटन घटकों वाली परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ (परियोजनाओं की सं.)**	**परियोजना का नाम**
1	छत्तीसगढ़ (1)	जशपुर - कुनकुरी- मैनपट- अंबिकापुर- महेशपुर -रतनपुर- कुर्दर- सरोदादादर- गंगरेल- कोंडागांव- नाथिया नवागांव- जगदलपुर - चित्रकूट- तीर्थगढ़ का विकास
2	मिजोरम (2)	मिजोरम में थेंजवाल और दक्षिण जोट, जिला सेरचिप और रेइक का एकीकृत विकास मिजोरम में आइजवाल - रापुईछिप - खावहपहवप - लेंगपुई - दर्तलांग - छतलांग - साकावरमुइतुइतलांग - मुथी - बेरातलवंग - तुरियल एयरफील्डत - हुमुईफांग में इको-एडवेंचर सर्किट का विकास।
3	जम्मू एवं कश्मीर (5)	कुमाऊँ क्षेत्र - कटारमल -जोगेश्वर-बैजनाथ-देवीधुरा में विरासत परिपथ का विकास सिधरा गोल्फ कोर्स - बाग ई बहू - सुचेतगढ़ - कटरा - एसकेआईसीसी - श्रीनगर - बिजबेहरा - सलामाबाद - उरी - पनिखर - शेरगिल का विकास । अनंतनाग - किश्तवार - पहलगाम - दकसुम - रंजीत सागर बांध में पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास जम्मू - राजौरी - शोपियां - पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास गुलमर्ग - बारामुला - कुपवाड़ा - लेह में पर्यटन सुविधाओं का समेकित विकास
4	हिमाचल प्रदेश (1)	हिमाचल प्रदेश में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास
5	उत्तराखण्ड (1)	टिहरी झील के चारों ओर टिहरी - चंबा - सराएन में परिपथ का विकास

6	उत्तर प्रदेश (1)	स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विरासत परिपथ के रूप में कालिंजर फोर्ट (बांदा) - मरहर धाम (संत कबीर नगर) - चौरी चौरा शहीद स्थल (फतेहपुर) - मवाहर स्थल (घोसी) - शहीद स्मारक (मेरठ)
7	आंध्र प्रदेश (1)	एसपीएस नेल्लोर- आंध्र में तटीय परिपथ का विकास
8	तेलंगाना (2)	मुलुगु- तेलंगाना में जनजातीय परिपथ का विकास महबूबनगर- तेलंगाना में इको परिपथ का विकास
9	ओडिशा (2)	तटीय परिपथ का विकासः गोपालपुर, बरकुल, सतपदा और तंपारा बीच परिपथ का विकासः उदयपुर- दीघा- शंकरपुर- ताजपुर- मंदारमणि- फ्रेजरगंज-बक्खलाई-हेनरी द्वीप
10	अरुणाचल प्रदेश (1)	अरुणाचल प्रदेश में नवीन साहसिक पर्यटन वन्यजीव परिपथ मानस, पोबितोरा, नामेरी, काजीरंगा, पाणि दीहिंग, डिब्रू सेखोवा
11	नागालैंड (2)	नागालैंड में पेरेन, कोहिमा और वोखा का विकास नागालैंड में मोकोकचुंग, तुएनसांग और मोन का विकास
12	त्रिपुरा (1)	पूर्वोत्तर परिपथ का विकासः अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - अमरपुर- तीर्थमुख- मंदिरघाट- डूमबोर- नारिकेल कुंजा- गंडचारा- अंबासा
13	पश्चिम बंगाल (1)	बीच परिपथ का विकासः उदयपुर- दीघा- शंकरपुर- ताजपुर- मंदारमणि- फ्रेजरगंज-बक्खाली-हेनरी द्वीप
14	असम (1)	तेजपुर - माजुली - सिबसागर का विकास
15	महाराष्ट्र (1)	सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ (शिरोदा बीच, सागरेश्वर, तरकर्ली, विजयदुर्ग (बीच और क्रीक), देवगड (फोर्ट और बीच), मितभाव, टोंडावली, मोसेहमद और निवाती फोर्ट का विकास
16	मध्य प्रदेश (4)	पन्ना - मुकुंदपुर - संजय - डुबरी - बांधवगढ़ - कान्हा - मुक्की - पेंच में वन्यजीव परिपथ का विकास सांची-सतना-रीवा-मंदसौर-धार का विकास ग्वालियर - ओरछा - खजुराहो - चंदेरी - भीमबेटका - मांडू का विकास

		गांधी सागर बांध - मंडलेश्वर बांध - ओंकारेश्वर बांध - इंदिरा सागर बांध - तवा बांध - बरगी बांध - भेड़ा घाट - बाणसागर बांध - केन नदी का विकास
17	गोवा (1)	तटवर्ती परिपथ ।।: रुआ दे ओरम क्रीक - डोन पौला - कोलवा - बेनौलिम का विकास
18	अंडमान एवं निकोबार (1)	लांग द्वीप - रॉस स्मिथ द्वीप - नील द्वीप - हैवलॉक द्वीप - बरटांग द्वीप - पोर्टब्लेयर का विकास
19	मेघालय (1)	मेघालय में पूर्वोत्तर परिपथ का विकास
20	केरल (1)	केरल में ईको परिपथ के तहत पथनमथीट्टा - गावी - वागामोन का विकास
21	सिक्किम (2)	सिक्किम में पर्यटक परिपथ के रूप में रोराथांग - अरितर - फाडमचेन - नथांग - शेराथांग - सोंगमो - गंगटोक - फोडोंग - मंगन - लाचुंग - युमथांग - लाचेन - थांगु - गुरूडोंगमेर - मंगन – गंगटोक - तुमिन लिंगी - सिंगटम का विकास सिक्किम में पर्यटन परिपथ के रूप में सिंगटम - माका – सरा – बरमोइक टोकेल – फोंगिया - नामची – जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - दारमदीन – जोरथांग - मेली का विकास
22	पुडुच्चेरी (1)	डुबरायापेट, अरिकामेडू चाइना वीरमपट्टिनम, चुनांबमर, नल्लामवाडू, मानापेट, कालापेट, फ्रेंच क्वार्टर, तमिल क्वार्टर और यनम का विकास

*****